



आवश्यक सूचना

परिषद द्वारा इस समाचार पत्र में "परिषद की लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर एवं आगरा जोन के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों एवं शैक्षणिक भूखण्डों का सामान्य आवंटन/नीलामी/ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का सुनहरा अवसर" शीर्षक से दिनांक-10.07.2021 को प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में सूचित किया जाता है कि जनमानस को और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत, माह-अगस्त-2021 में दो पक्षों में ई-नीलामी कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका कार्यक्रम निम्नवत् है :-

- ई-नीलामी माह-अगस्त-2021 हेतु कार्य योजना (प्रथम पक्ष):-

पंजीकरण अवधि	:- दिनांक 02.08.2021 से 11.08.2021 तक
टोकन जमा करने की अवधि	:- दिनांक 05.08.2021 से 13.08.2021 तक
ई-नीलामी की तिथि	:- दिनांक 17.08.2021
- ई-नीलामी माह-अगस्त-2021 हेतु कार्य योजना (द्वितीय पक्ष):-

पंजीकरण अवधि	:- दिनांक 18.08.2021 से 27.08.2021 तक
टोकन जमा करने की अवधि	:- दिनांक 20.08.2021 से 31.08.2021 तक
ई-नीलामी की तिथि	:- दिनांक 01.09.2021

साथ ही दिनांक-19.08.2021 को मोहर्रम के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश के आलोक में सामान्य आवंटन/नीलामी अब दिनांक-19.08.2021 के स्थान पर दिनांक-28.08.2021 को आयोजित की जायेगी।

❖ विस्तृत विवरण परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध है। ❖ शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

आवास आयुक्त